

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 164 सन 2022

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. हरदत्त पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. सोनिका पुत्री इन्द्रा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 28/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 39/29 की कुल 4.1745हैक में से 1/20 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 123/108 की कुल 1.2144हैक में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 25/53 की कुल 1.2144हैक में से 1/20 हिस्सा , व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 154/165 की कुल 0.7590हैक में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 78/75 के खाता संख्या 3.8450हैक में से 1/20 हिस्सा , व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 69/65 की कुल 0.9880हैक में से 45/38 की कुल 10.7270हैक में से 1/20 हिस्सा , व रोही मौजा टोपरिया बाराणी के खाता संख्या 164/155 की कुल 31.3720हैक में से 1/20 हिस्सा , व रोही मौजा निमला के खाता संख्या 35/40 की कुल 10.6860हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडीसी के खाता संख्या 100/80 की कुल 1.9230हैक में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 11/11 की 45.6900हैक में से 1/20 हिस्सा व रोही मौजा चक 21 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 113/93 की कुल 6.3970हैक में से 1/20 हिस्सा भूमि कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम वादी के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम के नाम दर्ज भूमि का विरास्तन से पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिरसा की भूमि को अपने भाईया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना रापथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वगील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने दाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 39/29 की कुल 4.1745 हैक् में से 1/20 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 123/108 की कुल 0.506 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व खाता संख्या 25/53 की कुल 1.2144 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 154/165 की कुल 0.7590 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व खाता संख्या 78/75 के खाता संख्या 3.8450 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 69/65 की कुल 0.9880 हैक् में से 1/20 हिस्सा व खाता संख्या 45/38 की कुल 10.7270 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व रोही मौजा टोपरी बरानी के खाता संख्या 164/155 की कुल 31.3720 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व रोही मौजा निमला के खाता संख्या 35/40 की कुल 10.6860 हैक् व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी सी के खाता संख्या 100/80 की कुल 1.9230 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व खाता संख्या 11/11 की 45.6900 हैक् में से 1/20 हिस्सा व रोही मौजा चक 21 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 113/93 की कुल 6.3970 हैक् में से 1/20 हिस्सा भूमि कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम वादी के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की बहने है एवं कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिफ्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 39/29 की कुल 4.1745 हैक् में से 1/20 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 123/108 की कुल 1.2144 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व खाता संख्या 25/53 की कुल 1.2144 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 154/165 की कुल 0.7590 हैक् में से 1/20 हिस्सा, व खाता

संख्या 78/75 के खाता संख्या 3.8450 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 69/65 की कुल 0.9880 हैक्ट में से 45/38 की कुल 10.7270 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व रोही मोजा टोपसि बरानी के खाता संख्या 164/155 की कुल 31.3720 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा, व रोही मोजा निमला के खाता संख्या 35/40 की कुल 10.6860 हैक्ट व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडीसी के खाता संख्या 100/80 की कुल 1.9230 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 11/11 की 45.6900 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा व रोही मोजा चक 21 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 113/93 की कुल 6.3970 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा भूमि कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम वादी के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किराी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 39/29 की कुल 4.1745 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 123/108 की कुल 1.2144 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 25/53 की कुल 1.2144 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 154/165 की कुल 0.7590 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 78/75 के खाता संख्या 3.8450 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 69/65 की कुल 0.9880 हैक्ट में से 45/38 की कुल 10.7270 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व रोही मोजा टोपसि बरानी के खाता संख्या 164/155 की कुल 31.3720 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा, व रोही मोजा निमला के खाता संख्या 35/40 की कुल 10.6860 हैक्ट व रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडीसी के खाता संख्या 100/80 की कुल 1.9230 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 11/11 की 45.6900 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा व रोही मोजा चक 21 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 113/93 की कुल 6.3970 हैक्ट में से 1/20 हिस्सा भूमि कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेटा उर्फ जेटाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (अनुमानगढ़)
नोहर

अध्याय डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनिवार :-

1. ओमप्रकाश पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. हरदत्त पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. सुभिन्ना पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. सोनिका पुत्री इन्द्रा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर/राजस्थान जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 164 सन 2022 निर्णय दिनांक- 28/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी राक्ष्य सदुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 39/29 की कुल 4.1745हैव में से 1/20 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 123/108 की कुल 0.506हैव में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 25/53 की कुल 1.2144हैव में से 1/20 हिस्सा , व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 154/165 की कुल 0.7590हैव में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 78/75 के खाता संख्या 3.8450हैव में से 1/20 हिस्सा , व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 69/65 की कुल 0.9880हैव में से 1/20 हिस्सा व खाता संख्या 45/38 की कुल 10.7270हैव में से 1/20 हिस्सा , व रोही मौजा टोपरिया बाराणी के खाता संख्या 164/155 की कुल 31.3720हैव में से 1/20 हिस्सा, व रोही मौजा निमला के खाता संख्या 35/40 की कुल 10.6860हैव व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडीसी के खाता संख्या 100/80 की कुल 1.9230हैव में से 1/20 हिस्सा , व खाता संख्या 11/11 की 45.6900हैव में से 1/20 हिस्सा व रोही मौजा चक 21 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 113/93 की कुल 6.3970हैव में से 1/20 हिस्सा भूमि कृष्ण उर्फ कुष्ण कुमार उर्फ किशनाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिय के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का रटाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)